



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 22-09-2024

1. थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.09.2024 को थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध शराब के साथ अरोडा फार्म हाउस, ग्रीन ब्यूटी फार्म सेक्टर-135 से 07 अभियुक्त 1.दीपक रावत पुत्र स्व0 हरीश रावत 2.मांग्ते कॉम पुत्र मांग्ते अगस्टाइन 3.मुक्ता थापा पुत्र स्व0 ओम बहादुर थापा 4.ऑग्यक कॉग्यक पुत्र मोबा कॉग्यक 5.पीटर किरहक पुत्र स्व0 विमित्सु किरहक 6.राजू थापा पुत्र ओम बहादुर थापा 7.अंकित पुत्र नक्षत्रपाल को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 36 कैन व 04 बोतल व्हिसकी बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. दीपक रावत पुत्र स्व0 हरीश रावत निवासी सेक्टर-5, रोहिणी दिल्ली उम्र 24 वर्ष।
2. मांग्ते कॉम पुत्र मांग्ते अगस्टाइन निवासी ग्राम कननफाई, चूरा चांदपुर, मणिपुर वर्तमान पता ग्राम मुनीरका नई दिल्ली उम्र 25 वर्ष।
3. मुक्ता थापा पुत्र स्व0 ओम बहादुर थापा निवासी लिंगरीजन जिला दिमापुर, नागालैंड वर्तमान पता महारौली दिल्ली उम्र 35 वर्ष।
4. ऑग्यक कॉग्यक पुत्र मोबा कॉग्यक निवासी रिवर वैल्थ कॉलोनी दिमापुर नागालैंड, वर्तमान पता महारौली दिल्ली उम्र 28 वर्ष।
5. पीटर किरहक पुत्र स्व0 विमित्सु किरहक निवासी ग्राम कचरे गाँव, दिमापुर नागालैंड वर्तमान पता महारानी बाग, नई दिल्ली उम्र 33 वर्ष।
6. राजू थापा पुत्र ओम बहादुर थापा निवासी लिंगरीजन जिला दिमापुर, नागालैंड, वर्तमान पता गाँव महारानी बाग नई दिल्ली उम्र 35 वर्ष।

7. अंकित पुत्र नक्षत्रपाल निवासी ग्राम खेडा नवादा, थाना कांठ जिला शाहजहांपुर वर्तमान पता अरोडा फार्म हाउस, यमुना डूब क्षेत्र सेक्टर-135 नोएडा उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 36 कैन व 04 बोतल व्हिसकी

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 165/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।

2. थाना सेक्टर-142 पुलिस, सीडीटी टीम व सर्विलान्स टीम की संयुक्त कार्यवाही में प्रोपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने वाले पुरस्कार घोषित मुख्य अभियुक्त सहित दो शूटर गिरफ्तार व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल, स्कूटी एवं घटना मे प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 15.09.2024 को थाना सेक्टर-142 क्षेत्र के अंतर्गत के सेक्टर-137 मेट्रो स्टेशन के पास एक प्रोपर्टी डीलर नवीन्द्र झा की गोली मारकर हत्या कर देने की घटना कारित की गई थी, उक्त घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सफल अनावरण हेतु पुलिस उचाधिकारीगण के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.09.2024** को थाना सेक्टर-142 पुलिस, सीडीटी टीम व सर्विलान्स टीम की संयुक्त कार्यवाही में 1.नीरज पुत्र स्व0 ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य अभियुक्त) 2.बृजपाल पुत्र सूरज सिंह (शूटर) 3.रामवीर उर्फ गदल पुत्र रामचन्द्र सिंह (शूटर) को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सेक्टर-142 पर मु0अ0सं-111/2024 धारा-103(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त नीरज गुप्ता द्वारा बताया गया कि मेरा मृतक नवीन्द्र झा से प्लॉट व पैसो को लेकर विवाद चल रहा था जिस पर मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर नवीन्द्र झा की हत्या करने की योजना बनायी थी। शूटर रामवीर व बृजपाल से 5,00,000 रुपये में हत्या करने का सौदा किया गया था तथा 3,00,000 रुपये उन्हें पेशगी के रूप में शुरु में ही दिये गये थे। मेरे द्वारा दोनो शूटर को एक स्कूटी दी गई थी जिसकी हैड लाईट नीले रंग की कर दी थी। दिनांक 15.09.2024 को वार्ता करने के नाम पर नवीन्द्र झा को मेट्रो स्टेशन सेक्टर-137 नोएडा के पास बुलाया जहां पर रामवीर ने गोली मारकर नवीन्द्र झा की हत्या कर दी तथा मौके से मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई स्कूटी से भाग गये थे। अभियुक्त रामवीर व बृजपाल हत्या करने से पूर्व होटल पैराडाईज नोएडा मे रुके थे जिसके विषय मे जानकारी की जा रही । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर 25000-25000 रुपये इनाम के रूप मे घोषित है।

अपराध का विवरण-- मृतक नवीन्द्र कुमार झा का मुख्य अभियुक्त नीरज गुप्ता से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था जिसमें मृतक नवीन्द्र से आरोपीगण द्वारा एक बार पैसा अदा करने के बावजूद प्लॉट के एवज में और धन की मांग की जा रही थी। जिसमें समझौता आदि करने हेतु दिनांक 15.09.24 को सेक्टर-137 मेट्रो स्टेशन के पास वार्ता कर रहे थे कि नामित अभियुक्तगण द्वारा पूर्व से षडयंत्र कर योजना बनाकर बुलाये गये 1.बृजपाल पुत्र सूरज सिंह (शूटर) 45 वर्ष व 2.रामवीर उर्फ गदल पुत्र रामचन्दर सिंह (शूटर) 45 वर्ष शूटरो को 5 लाख रुपये सुपारी देकर मृतक नवीन्द्र कुमार झा के सर में गोली मारकर हत्या करायी गयी थी। साक्ष्य संकलन करते हुए वांछित 02 अभियुक्तगण को एल जी चौक नॉलेज पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है।

1. अभियुक्त नीरज फल का ठेला लगाने का कार्य करता है तथा कक्षा 09 तक शिक्षित है।
2. अभियुक्त बृजपाल खेती का कार्य करता है तथा कक्षा 08 तक शिक्षित है।
3. अभियुक्त राम वीर उर्फ गदल खेती का कार्य करता है तथा कक्षा 08 तक शिक्षित है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. नीरज पुत्र स्व0 ओमप्रकाश गुप्ता निवासी अर्चना एन्क्लेव अमर जिम के पास, खोडा कॉलोनी थाना खोडा, जिला गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष।
2. बृजपाल पुत्र सूरज निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जिला बिजनौर उम्र 45 वर्ष।
3. राम वीर उर्फ गदल पुत्र राम चन्दर निवासी ग्राम गांगटकोला, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा उम्र 46 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना मे प्रयुक्त 01 स्कूटी टीवीएस एनटार्क
2. घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर
3. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-111/2024 धारा-103(1)/61(2) बीएनएस सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

● अभियुक्त नीरज --

1. मु0अ0सं0-0258/14 धारा 302/120-बी भादवि थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0-354/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

● अभियुक्त राम वीर उर्फ गदल --

1. मु0अ0सं0-0258/14 धारा 302/120-बी भादवि थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0-354/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।